रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 1984/अग्रहायण 8, 1906
No. 457] NEW DELHI, THURSDAY, NOV 29, 1984/AGRAHAYANA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1984

स. 218/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा का. नि. 795(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 6 के अंतर्गत आने वाले कच्चे नाप्था को जो किसी परिशोधनशाला में उत्पादित हो (जहां कच्चे पैट्रोलियम या शैल का परिशोधन किया जाता है या शुल्क असवत्त पैट्रोलियम उत्पाद का मिश्रण किया जाता है) और पाईप लाईनों को फ्लश

करने के लिए उपयोग में लाया जाए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब फ्लश किया गया तेल, अर्थात्, पाईप लाइनों के फ्लश करने के लिए उपयोग में लाया गया कच्चा नाप्था पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आगे और प्रसंस्करण के लिए परिशोधनशाला के कच्चे टैंक में वापस प्राप्त किया जाता है ;

परन्तु यह और कि कच्चे नाप्था का उपयोग ऐसे पाईप लाईनों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जो परिशोधनशाला के परिसर के बाहर है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

[फा. सं. 83/7/83-सी.एक्स.-3]
सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th November, 1984
NO. 218|84-CENTRAL EXCISES

G. S. R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha, falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in any refinery (wherein refining of order petroleum or shale or blending of non-duty paid petroleum products is carried on) and utilised for flushing pipelines, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the flushed oil, that is to say, the raw naphtha utilised for flushing pipelines, is received back in the crude tank of the refinery for further processing in the production of petroleum products:

Provided further that where the raw naphtha is utilised for flushing pipelines, being pipelines which fall outside the premises of the refinery, the procedure specified by the Collector of Central Excise in this behalf, is followed.

[F. No. 83|7|83-CX. 3]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984